राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :–राजप / डीपीसी / अचल.स.वि / 2017 / दिनांक :

समस्त संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें–जोन।

विषय :– समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष 2016 (01.01.2017) की स्थिति में अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन सचिव, कार्मिक (क–1 / गो0प्र0) विभाग द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों द्वारा निर्देशित किया गया है कि समस्त राजपत्रित अधिकारी अपनी अचल सम्पत्ति विवरण सीधे ही अपने नियुक्ति प्राधिकारी / विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगें, तथा जो राजपत्रित अधिकारी अपना अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत नही करेगें, उनकी विजीलैन्स क्लीयरेन्स नहीं दिये जाने, पदोन्नति पर विचार नहीं किये जाने एंव अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही आगामी वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया है।

इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि आपके संभाग में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा वर्ष 2016 (01.01.2017) की स्थिति में अचल सम्पति विवरण निदेशालय को प्रस्तुत किया गया है या नहीं साथ ही संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया जावे कि जिन राजपत्रित अधिकारियों ने अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत नहीं किया है को माह जुलाई में दी जाने वाली वेतनवृद्धि स्वीकृत नहीं की जावें एवं जिन राजपत्रित अधिकारियों द्वारा वर्ष 2016 (01.01.2017) की स्थिति में अचल सम्पति विवरण प्रपत्र आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही की सूचना निम्नानुसार दिये गये प्रपत्र में अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करावें:–

**अचल सम्पति विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की सूचनाः–**

| क्र. सं. | चिकित्सक का नाम व पदनाम | जन्मतिथि | वर्तमान पदस्थापन स्थान | प्रपत्र प्रस्तुत किये जाने का क्रमांक दिनाक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |

**अचल सम्पति विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर की गई कार्यवाही विवरणः–**

| क्र. सं. | चिकित्सक का नाम व पदनाम | जन्मतिथि | वर्तमान पदस्थापन स्थान | प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर की गई कार्यवाही का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :–राजप / डीपीसी / अचल.सं.वि / 2017 / 701
दिनांक : 7/07/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक (क–1 / गो0प्र0) विभाग राजस्थान जयपुर
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1 / गो.प्र.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निदेशक (पक / ई.एस.आई. / एड्स / मोबाईल सर्जिकल यूनिट), चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभाग की वैबसाईट पर अप–लोड किये जाने एवं समस्त संबंधित को ई–मेल द्वारा भिजवाये जाने हेतु प्रेषित है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर